राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–एफ.2(ग) ए.सी.पी./1990–।।/अलेसे–I/ 905 दिनांकः– 10.1.2019

कार्यालय आदेश संख्या 290/2018–19

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.2008 एवं दिनांक 06.10.2008 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में **श्री रमेश** चन्द, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। (वर्तमान में व0 लेखाधिकारी), जिनकी जन्मतिथि **17.08.1968** है तथा जिन्होंने लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक **15.06.1993** को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने 18 वर्ष की राजकीय सेवा दिनांक 15.06.2011 को पूर्ण कर ली है। अतः श्री रमेश चन्द को दिनांक 15.06.2011 से लेखाकार के पद की द्वितीय ए.सी.पी. पी.बी.–2 (9300–34800) पे–बैण्ड एवं रूपये 4800 ग्रेड–पे में स्वीकृत किया जाता है।

श्री रमेश चन्द के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.2009 में दी हुई शर्तो के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

श्री रमेश चन्द, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम के गत 07 वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जांकर तद्नुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री रमेश चन्द का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14 (88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित कार्मिक की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित कार्मिक ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में ग्रेड पे 4200/– प्राप्त कर रहे हैं।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः–एफ.2(ग) ए.सी.पी./1990–।।/अलेसे–I/ 905 दिनांकः– 10.1.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, उदयपुर।
2. श्री रमेश चन्द, वरि0लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, उदयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)